

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आरसीटी/90/2017

दांडिक प्रकरण क.-74/17

संस्थापित दिनांक-16.03.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
01-सलमान शाह पुत्र इस्माइल शाह उम्र 24 साल निवासी प्राणपुर। 02-रिजवान उर्फ पप्पू पुत्र मुवीन खां उम्र 26 साल निवासी चकला बाबडी, चंदेरी। <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री ए के चौरसिया अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 31.05.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 452, 323, 294, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 452 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी रजनी सेन ने दिनांक 15.01.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को दोपहर करीबन दो बजे उसका भाई जितेंद्र और प्राणपुर के सलमान में वाद विवाद हो गया था उसी विवाद को लेकर शाम को करीबन आठ बजे उसके घर पर सलमान एवं उसका बहनोई पप्पू आकर बोले मादरचोद निकलो, कहां पर हो। वह घर पर अकेली थी तो उसने घर के अंदर से गाली देने से मना किया तो दोनों आरोपीगण उसके घर के अंदर लाठी लेकर घुसे और सलमान ने उसकी लाठी से मारपीट की एवं सलमान के बहनोई ने घर के अंदर चुटिया पकड़कर लात घूसों से मारपीट की, जिससे उसे चोट आई। फिर वह चिल्लाई तो मौके पर मनोज जोशी और शनी पंडित आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 18/17 के अंतर्गत भादवि की धारा 452, 323, 294, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 452, 323, 506 भाग-दो, 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 15.01.2017 को समय 20.00 बजे फरियादिया का घर ग्राम प्राणपुर चंदेरी पर फरियादी रजनी सेन के द्वार में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रजनी सेन, अ.सा 02 गयाप्रसाद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 रजनी ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण उसके घर के बाहर आकर उसके साथ गाली गलौच कर रहे थे और साथ ही उसके साथ झूमा झटकी की थी। अ.सा. 01 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने घर के अंदर घुसकर उसके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 गयाप्रसाद ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसके घर के बाहर आरोपीगण ने आकर गाली गलौच की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने घर के अंदर घुसकर उसकी पुत्री रजनी के साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने पुलिस कथन प्रपी 04 का ए से ए भाग पुलिस को नहीं दिया। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी अभियोजन साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण फरियादी के घर में उपहति कारित करने के आशय से घुसे थे।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 452 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा दो बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)